**बिहार सरकार**

**गन्ना उद्योग विभाग**

**–::कार्यालय आदेश::–**

का०आ०सं०–01 / स्था०राज०–336 / 2025– पटना, दिनांक फरवरी, 2026

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 द्वारा संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका–3 (3) (ख) के तहत गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक–27.01. 2026 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय एवं समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित सेवानिवृत जन सेवकों को उनके नाम के सामने स्तम्भ–7 में अंकित कार्यालय में संविदा के आधार पर जनसेवक के पद पर नियोजित किया जाता है :–

| क्र० सं० | नाम | पदनाम (जिस पद से सेवा निवृत हुए है।) | कोटि | जन्म तिथि | सेवानिवृत्ति की तिथि | नियोजन का विभाग / कार्यालय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री हरिशचन्द्र राय | जनसेवक | पिछड़ा वर्ग | 04.11.1963 | 30.11.2023 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गया जी। |
| 2 | श्री रघुवंश नारायण सिंह | पंचायत सचिव | पिछड़ा वर्ग | 03.02.1964 | 29.02.2024 | सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा। |
| 3 | श्री जवाहर लाल प्रसाद | पंचायत सचिव | पिछड़ा वर्ग | 25.07.1964 | 31.07.2024 | सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई। |
| 4 | श्री शम्भू कुमार | पंचायत सचिव | अनुसूचित जाति | 04.01.1962 | 31.01.2022 | सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया। |
| 5 | श्री अर्जुन राम | पंचायत सचिव | अनुसूचित जाति | 20.12.1964 | 31.12.2024 | सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा। |
| 6 | श्री सुरेश प्रसाद सिंह | जनसेवक | गैर आरक्षित | 07.08.1965 | 31.08.2025 | सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)। |
| 7 | श्री विनोद राव | जनसेवक | गैर आरक्षित | 13.05.1965 | 31.05.2025 | सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा। |
| 8 | श्री बैद्यनाथ प्रसाद यादव | पंचायत सचिव | पिछड़ा वर्ग | 08.11.1964 | 30.11.2024 | सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर। |
| 9 | श्री चन्द्रदेव राम | पंचायत सचिव | अनुसूचित जाति | 05.06.1965 | 31.06.2025 | सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा। |
| 10 | श्री रामधार शर्मा | जनसेवक | गैर आरक्षित | 26.01.1965 | 31.01.2025 | सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा। |

2. संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3 (2)(क)(v) तथा 3 (2)(ख)(v) तहत प्रावधानित अवधि के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति होने तक के लिए किया जाता है। प्रस्तुत मामलों में अधिकतम निर्धारित उम्र तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनका सेवा विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा और कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत सरकारी सेवकों का संविदा–विस्तार सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत संकल्प ज्ञापांक–3978 दिनांक–23.03.2018 की कंडिका–5 के आलोक में विभाग स्तरीय चयन समिति की सहमति से संकल्प के तहत निर्धारित उम्र तक किया जा सकेगा।

3. संविदा नियोजित कर्मियों के संबंध में किसी प्रकार के आरोप / दण्ड की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिया जायेगा। 06/02/26

4. संविदा नियोजित कर्मियों को देय मासिक मानदेय का निर्धारण संकल्प की कंडिका–(3)(6)(i) तथा (3)(7)(iii) के आलोक मे किया जायेगा तथा अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण संकल्प के प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

5. कार्यालयादेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनका नियोजन स्वतः रद्द समझा जायेगा।

6. संविदा नियोजन आदेश के आलोक में संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा पद पर योगदान करने की तिथि से संविदा नियोजन एक वर्ष तक के लिए प्रभावी होगा।

7. संकल्प की कंडिका–(3)(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका–(3)(6)(iv) के तहत सेवा निवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि संविदा अवधि में स्थिर रहेगी। मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए आदायगियॉ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा। उपर्युक्त जनसेवक को उनके योगदान की तिथि से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

8. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–(3)(7)(iii) एवं परिपत्र संख्या–8710 दिनांक– 11.08.2021 सह–पठित परिपत्र संख्या–13522 दिनांक–17.11.2021 के आलोक में नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित संविदा नियोजित कर्मी के मानदेय का निर्धारण किया जायेगा।

9. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका–(3)(6)(ii) के अंतर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

10. इन संविदा नियोजित जनसेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

11. इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

12. इन संविदा नियोजित कर्मियों को कोई वित्तीय दायित्व नहीं सौपा जायेगा। वित्तीय शक्ति दिये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–11899 दिनांक–06.10.2021 का अनुपालन प्रशासी विभाग/कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

ह०/–

**अवर सचिव।**

**ज्ञाप संख्या–01/स्था०राज०–336/2025 /पटना, दिनांक– फरवरी, 2026**

प्रतिलिपि– अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–1882 दिनांक–27.01.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

**अवर सचिव।**

**ज्ञाप संख्या–01/स्था०राज०–336/2025** 274, **/पटना, दिनांक–**06 **फरवरी, 2026**

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आशुटंकक/सभी संबंधित पदाधिकारी/बजट शाखा/सभी संबंधित कार्यालय/सभी संबंधित कर्मी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06/02/2026

**अवर सचिव।**